



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128003

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत अर्ज़ी संख्या - 20155 वर्ष 2026

नदीम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आनंद कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं।
2. यह ज़मानत अर्ज़ी, मुकदमा अपराध संख्या 251/2024 (थाना- अलीनगर, ज़िला- चंदौली) में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है। यह मामला उत्तर प्रदेश गोवध

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/5बी/8, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 और बीएनएस, 2023 की धारा 325 के तहत दर्ज है।

3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है। एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं है और उसका नाम सह-आरोपी के कबूलनामे में सामने आया है क्योंकि वह बरामद गाड़ी नंबर यूपी 21 सीएन 3658 का मालिक है। आवेदक के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों - नुसरत, शाहिद अली और लुकमान - को इस न्यायालय की एक बेंच ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 40711/2024 में 03.03.2025 को दिए गए आदेश के तहत जमानत दे दी है। उनका यह भी कहना है कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह 18.04.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, ए.जी.ए. ने जमानत देने की अर्जी का विरोध किया, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों - नुसरत, शाहिद अली और लुकमान - को इस न्यायालय की एक बेंच ने जमानत दे दी है।

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखा है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपियों - नुसरत, शाहिद अली और लुकमान - को इस न्यायालय की एक बेंच ने ज़मानत दे दी है और उस आदेश को माननीय सुप्रीम न्यायालय ने न तो रद्द किया है और न ही उस पर रोक लगाई है, और साथ ही आवेदक 18.04.2026 से जेल में है, इसलिए मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करना उचित लगता है।

7. ज़मानत की अर्ज़ी **मंज़ूर** की जाती है।

8. आवेदक- **नदीम**, जो ऊपर बताए गए मामले/अपराध में शामिल है, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह नीचे दी गई शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। यदि वह इस शर्त का पालन नहीं करता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक को विचारण न्यायालय में तय हर तारीख पर खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहता है, तो विचारण

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

(iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82 / बी.एन.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय में पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के मुताबिक भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) मुकदमा शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का विचारण न्यायाधीश की उस स्वतंत्र राय पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो वे गवाहों के बयानों के आधार पर बनाएंगे।

17 जून, 2026

कीर्ति

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।